himself there then he established himself in the rest of the country as well. Combridge and Oxford are 600 and 700 years old. There is no place in the whole world where there is such a continuous academic tradition as Banaras has got. The students and teachers of that place have a great tradition to uphold and fulfil.

I would beg of them: let them forget small things. Let them remember tney are heirs to a great heritage. Let them see to it that peace prevails, discussion prevails, dialogue takes place and violence is completely eschewed. If they do this, I have no doubt in mind there will be peace in Banaras Hindu University and Kashi Viswas Vidayala will once again become one of the premier Universities of not only this country but of the entire wide world. With these words I commend the Bill for the acceptance of the House.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

15.49 hrs.

FOREIGN MARRIAGE BILL

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : सभापति महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एजेंडा पर बिहार संबंधी प्रस्ताव और विधेयक के अलावा बाढ़ के संबंध में एक प्रस्ताव भी है, जिस में सब माननीय सदस्यों की दिलचस्पी है। लेकिन एजेंडा पर एक फ़ारेन मैरिज बिल भी है। इस में कई हयुमैन ट्रेजेडीज़ का सवाल है और इस बारे में कोई विवाद नहीं है। वह बिल जायंट कमेटी से आया है और राज्य सभा ने उस को पास कर दिया है। अगर इस बिल को बिना बहस के पास कर दिया जाये, तो अच्छा होगा।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति महोदय, मैं उस जायंट कमेटी का सदस्य था और मैं ने उस की रिपोर्ट में अपना मिनट आफ़ डिसेंट भी दिया है। मैं माननीय सदस्य, श्री मधु लिमये, के सुझाव से सहमत हूं।

MR. CHAIRMAN: It is left to the House. If the House agrees, we can do so.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH: I had consulted the Law Minister because Mr. Limaye mentioned this to me earlier and he said that he had absolutely no objection to pass it without discussion if the House so desired. If the House permits it, I shall move the motion on his behalf. I move on behalf of Shri Govinda Menon:

> "That the Bill to make provision relating to marriages of Citizens of India outside India, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That the Bill to make provision relating to marriages of citizens of India outside India, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR CHAIRMAN: We shall take up clause 2. I think that amendments are not being moved.

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : सभापति महोदय, फ़ारेन मैरिज बिल में कई बातें ऐसी हैं, जिन पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता होगी। (**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: We have passed the consideration motion and we are taking up clauses.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : सभापति महोदय, आर्डर पेपर पर एक एडवोकेट्स (सैकंड एमेंडमेंट) बिल भी है, जिस को राज्य सभा ने पास कर दिया है। मैं समझता हूं कि यह कोई विवादास्पद बिल नहीं है। इस लिए इस को भी बिना बहस के पास कर दिया जाये।

MR. CHAIRMAN: At this stage we are on a particular Bill. After this Bill is disposed of we can consider other Bills. I shall put all the clauses to the vote of the House. The question is:

"That Clauses 2 to 30 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 30 were added to the Bill.

The First Scheduled, the Second Schedule and the Third Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.

SHRI RAGHU RAMAIAH: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Regarding Mr. Prakash Vir Shastri's suggestion, since there are some members who are opposed to it, it cannot be done. Now we will take up the Bihar Bill.

15.46 hrs.

STATUTORY RESOLUTION *RE.* PROCLAMATION IN RELATION TO THE STATE OF BIHAR

BIHAR STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL

गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सभापति जी मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा बिहार राज्य के संबंध में संविधान के अनुछेच्द 356 के अधीन 4 जुलाई, 1969 को जारी गी गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है ।

इस के बाद एक दूसरा प्रस्ताव है विधेयक के बारे में वह भी मैं रखे देता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार राज्य के विधान मंडल की विधियां बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय जिन परिस्थितियों में इस राष्ट्रपति की उद्घोषणा को करना पड़ा और मध्यावधि चुनव के बाद जो बिहार में स्थिति पैदा हुई उस के बारे में सदन के माननीय सदस्यों को पूर्ण रूप से ज्ञान है । तो उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता । मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हम लोगों को आशाएं थीं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव के बाद राजनैतिक स्थिरता आएगी और वहां लोकप्रिय सरकार स्थायी रूप से अगले आम चुनाव तक चल सकेगी वह हमारी आशाएं पूरी नहीं हो सकीं । वह कौन-कौन से कारण हैं जिन से वह आशाएं पूरी नहीं हो सकी उस में मैं नहीं जाना चाहता । एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं और वह यह है कि हम लोगों की जो आशा थी कि दलबदलुओं का युग मध्यावधि चुनाव के साथ साथ समाप्त हो जायगा वह आशा भी पूरी नहीं हुई और इस के कारण बहुत कुछ कठिनाइयां हमारे सामने बिहार राज्य में आईं । आप जानते हैं मध्यावधि चुनाव के बाद वहां पर एक मिलीजुली सरकार राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में बनी । वह कुछ महीने वहां चली उस के बाद कुछ लोगों ने अपना समर्थन उस सरकार से हटा लिया और उस के पश्चात् वहां पर एक दूसरी सरकार बनी । वह केवल 8–9 दिन ही चल पाई । इस के कारण ऐसी विषम परिस्थिति पैदा हुई कि वहां राष्ट्रपति का शासन लागू करना पड़ा । यह बड़े दुख की बात है कि चतुर्थ आम चुनाव के बाद बिहार राज्य में 6 मंत्रि-मंडल बने और 6 ध्वंस हुए । इस से ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि फिर से पिछले चुनाव के बाद दोबारा वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि अब दोबारा जब बिहार में कोई लोकप्रिय सरकार बने तो वह